

भारत सरकार  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
उर्वरक विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 3259

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025/17 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है।

रसायन और उर्वरक क्षेत्र में चुनौतियां

3259. श्री जिया उर रहमान:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार रसायन एवं उर्वरक क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों, विशेषकर उच्च इनपुट लागत, महत्वपूर्ण कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता, उर्वरक संयंत्रों के आधुनिकीकरण में देरी, कुछ क्षेत्रों में उर्वरकों की अपर्याप्त उपलब्धता और रसायन निर्माण एवं उर्वरक उपयोग से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं से अवगत है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, किसानों को उर्वरकों की समय पर और किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने, आयात पर निर्भरता कम करने, रसायन उद्योगों में आधुनिकीकरण और हरित प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम तथा पीएम-प्रणाम योजना जैसी विभिन्न योजनाओं और नीतिगत पहलों के माध्यम से नियामक ढांचे में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): यूरिया किसानों को सांविधिक रूप से अधिसूचित 242 रुपए प्रति 45 किग्रा बोरी (नीम कोटिंग के प्रभार और यथा लागू करें को छोड़कर) के अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर उपलब्ध कराया जाता है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने यूरिया क्षेत्र में नए निवेश को सुविधाजनक बनाने और यूरिया क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2 जनवरी, 2013 को नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की घोषणा की और 7 अक्टूबर, 2014 को इसमें संशोधन किया। एनआईपी-2012 के तहत कुल 6 नई यूरिया इकाइयां स्थापित की गई हैं जिनमें नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संयुक्त उद्यम कंपनियों (जेवीसी) के माध्यम से स्थापित 4 यूरिया इकाइयां और निजी कंपनियों द्वारा स्थापित 2 यूरिया इकाइयां शामिल हैं। तेलंगाना में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (आरएफसीएल) की रामागुंडम यूरिया इकाई तथा हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल) की 3 यूरिया इकाइयां नामतः गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी क्रमशः उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में जेवीसी के माध्यम से स्थापित इकाइयां हैं। पश्चिम बंगाल में मैटिक्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (मैटिक्स) की पानागढ़ यूरिया इकाई; और राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) की गड़ेपान-III यूरिया इकाई निजी कंपनियों द्वारा स्थापित इकाइयां हैं। इनमें से प्रत्येक इकाई की संस्थापित क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) है। ये नए यूरिया

संयंत्र लगभग 5.0 जीकैल/एमटी की बहुत कम ऊर्जा खपत के लिए बनाए गए हैं और नवीनतम प्रौद्योगिकी पर आधारित हैं। अतः, इन इकाइयों ने मिलकर यूरिया उत्पादन क्षमता में 76.2 एलएमटीपीए की वृद्धि की है जिससे वर्ष 2014-15 के दौरान रही 207.54 एलएमटीपीए की कुल स्वदेशी यूरिया उत्पादन क्षमता (पुनर्आकलित क्षमता, आरएसी) वर्ष 2023-24 के दौरान बढ़कर 283.74 एलएमटीपीए हो गई है। इसके अलावा, कोयला गैसीकरण रूट पर 12.7 एलएमटीपीए का एक नया ग्रीनफील्ड यूरिया संयंत्र स्थापित करके नामित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जेवीसी नामतः तालचेर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के माध्यम से एफसीआईएल की तालचेर इकाई को पुनर्जीवित करने के लिए एक विशेष नीति भी अनुमोदित की गई है। हाल ही में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड (बीवीएफसीएल), नामरूप असम के मौजूदा परिसर के भीतर 12.7 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता के एक नए ब्राउनफील्ड अमोनिया-यूरिया कॉम्प्लेक्स की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने स्वदेशी यूरिया उत्पादन को आरएसी से अधिक बढ़ाकर अधिकतम करने के एक उद्देश्य से मौजूदा 25 गैस-आधारित यूरिया इकाइयों के लिए 25 मई, 2015 को नई यूरिया नीति (एनयूपी)-2015 भी अधिसूचित की है। एनयूपी-2015 से यूरिया का उत्पादन वर्ष 2014-15 के दौरान हुए वार्षिक उत्पादन की तुलना में 20-25 एलएमटीपीए का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है। साथ ही, इस नीति के तहत, यूरिया इकाइयों को लक्ष्य ऊर्जा मानदंड (टीईएन) दिए गए थे। यूरिया इकाइयों से टीईएन हासिल करने की अपेक्षा की गई थी, जिसके लिए इकाइयों ने संयंत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकी उन्नयन को अपनाया है। एनयूपी-2015 मानदंडों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप यूरिया संयंत्रों की ऊर्जा खपत में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो वर्ष 2014-15 के दौरान 6.04 गीगाकैलोरी/मीट्रिक टन थी, वर्ष 2024-25 के दौरान घटकर लगभग 5.56 गीगाकैलोरी/मीट्रिक टन हो गई है। उपर्युक्त सभी उपायों से वर्ष 2024-25 के दौरान यूरिया उत्पादन 225 एलएमटी प्रतिवर्ष से बढ़कर 306.67 एलएमटी हो गया है।

फॉस्फेटयुक्त और पोटेशियुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के मामले में, सरकार ने दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। इस नीति के तहत, सब्सिडी प्राप्त पीएंडके उर्वरकों पर उनकी पोषकता अर्थात नाइट्रोजन(एन), फॉस्फोरस (पी), पोटेशियम (के) और सल्फर (एस) की मात्रा के आधार पर वार्षिक/अर्धवार्षिक आधार पर एक निश्चित राशि की सब्सिडी प्रदान की जाती है। एनबीएस स्कीम के तहत, पीएंडके उर्वरक विनियंत्रित हैं और उर्वरक कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का एमआरपी युक्तिसंगत स्तर पर निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरक मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किए जाते हैं और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं। अनुरोधों के आधार पर, उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा देने और देश को उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से एनबीएस सब्सिडी स्कीम के तहत नई उत्पादन इकाइयों अथवा मौजूदा इकाइयों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने को अहमियत दी गई है/संज्ञान में लिया गया है। एनबीएस नीति के तहत शामिल किए गए पीएंडके उर्वरकों की संख्या वर्ष 2021 की 22 ग्रेड से बढ़ाकर वर्तमान में 28 ग्रेड कर दी गई है और मृदा में फॉस्फेटयुक्त अथवा 'पी' पोषक तत्व प्रदान करने हेतु एसएसपी, जो एक स्वदेशी रूप से उत्पादित उर्वरक है, के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पर मालभाड़ा सब्सिडी, खरीफ, 2022 से लागू है।

इसके अलावा, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को उर्वरकों की समय पर और वहनीय दामों पर उपलब्धता सुनिश्चित करने, घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने, आयात निर्भरता को कम करने, आधुनिकीकरण का सहयोग करने के लिए, भारत सरकार ने उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत विभिन्न नैनो नाइट्रोजन उर्वरकों को अधिसूचित किया है। इनमें 15 अप्रैल 2024 को राजपत्र अधिसूचना सां.आ.1801(अ) के माध्यम से अधिसूचित इफको का 16% नाइट्रोजन निहित नैनो यूरिया प्लस; 2 मार्च 2023 को सां.आ.1026 (अ) के माध्यम से अधिसूचित जुआरी फार्म हब का नैनो यूरिया (8%) और 6 मार्च 2023 को सां.आ.1144 (अ) के माध्यम से अधिसूचित रे नैनो एंड रिसर्च सेंटर का नैनो यूरिया (4.4%) शामिल हैं।

इसी प्रकार, कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएण्डएफडब्ल्यू) ने राजपत्रित अधिसूचना सां.आ.1025(अ) और 1026(अ) दिनांक 02 मार्च, 2023 के जरिये नैनो डीएपी के उत्पादन के लिए क्रमशः मेसर्स इफको और सीआईएल को अधिसूचित किया है। इसके अतिरिक्त, जुआरी फार्म हब लिमिटेड द्वारा विकसित नैनो डीएपी को भी दिनांक 29 नवंबर 2023 की राजपत्र अधिसूचना सां.आ.5077(अ) के माध्यम से उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) के तहत अधिसूचित किया गया है जबकि नेचुरल प्लांट प्रोटेक्शन लिमिटेड द्वारा विकसित नैनो डीएपी को इसी तरह दिनांक 22 अप्रैल 2024 की राजपत्रित अधिसूचना सां.आ. 1785(अ) के माध्यम से एफसीओ के तहत अधिसूचित किया गया था।

इसके अतिरिक्त, आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 28 जून, 2023 को "धरती माता की उर्वरता की बहाली, जागरूकता सृजन, पोषण और सुधार के लिए प्रधान मंत्री कार्यक्रम (पीएम-प्रणाम)" को अनुमोदित किया। इस पहल का उद्देश्य उर्वरकों के सतत और संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, वैकल्पिक उर्वरकों को अपनाना, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना और संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों को लागू करके धरती माता के स्वास्थ्य को संरक्षित रखने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का सहयोग करना है।

सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीएम-प्रणाम स्कीम के अंतर्गत आते हैं। पीएम-प्रणाम स्कीम के तहत, पिछले तीन वर्षों में रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी) की औसतन खपत की तुलना में किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में इनकी खपत में कटौती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रावधान है, जो बचाई गई उर्वरक सब्सिडी राशि के 50% के बराबर है। देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पूर्व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग(डीएण्डएफडब्ल्यू) सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है। अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करते हुए राज्यों को उर्वरकों का यथेष्ट/पर्याप्त मात्रा में आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है। देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और उर्वरक विभाग द्वारा संयुक्त रूप से राज्य कृषि पदाधिकारियों के साथ नियमित साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उर्वरक भेजने हेतु सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

उर्वरकों के कारण पर्यावरणीय मुद्दों का समाधान करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उर्वरक उद्योगों के लिए अपशिष्ट और उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है। सभी उर्वरक उद्योगों के लिए अनिवार्य है कि वे संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, प्रदूषण नियंत्रण समितियों से प्रचालन के लिए सहमति जारी होने के बाद ही प्रचालन शुरू करें। परिसंकटमय अपशिष्ट सृजनकारी उर्वरकों के सभी उर्वरक उद्योगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समितियों से परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमा पार संचलन) नियम, 2016 के तहत प्राधिकार प्राप्त करें और उपर्युक्त प्राधिकार में निर्धारित शर्तों के अनुसार परिसंकटमय अपशिष्ट का निपटान करें।

तदनुसार, उर्वरक कंपनियों ने डिजाइन चरण से प्रदूषण नियंत्रण प्रणालियों को नियोजित किया है। संयंत्रों को एमओईएफसीसी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या केंद्रीय या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के तहत निर्धारित पर्यावरणीय विनियमों और मानकों का पालन करना होगा। संयंत्र, यदि आवश्यक हो, तो अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण करें या संशोधित पर्यावरणीय मानकों को पूरा करने के उपाय अपनाएं। अपशिष्ट-जल निर्वहन के लिए, सीपीसीबी/एसपीसीबी उर्वरक संयंत्रों की बैटरी सीमा से अपशिष्ट निर्वहन की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करता है। औद्योगिक अपशिष्ट का निर्वहन करने से पहले अपशिष्ट शोधन संयंत्र में शोधित किया जाता है।

इसके अलावा, उर्वरक संयंत्रों ने मौजूदा संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए पुनरुद्धार/पुनःसंयोजन में निवेश किया है। यूरिया उत्पादन सबसे अधिक ऊर्जा गहन प्रक्रिया है। सभी नेफ्था और ईंधन तेल आधारित यूरिया संयंत्रों ने अपने फीडस्टॉक को प्राकृतिक गैस में बदल दिया है, जो एक अधिक स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है। केवल आठ यूरिया संयंत्र भाप और बिजली के आंशिक उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करते हैं। ऊर्जा दक्षता को बेहतर बनाने के लिए अमोनिया-यूरिया संयंत्रों द्वारा वर्षों से कई अन्य उपाय किए गए हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 36 वर्षों की अवधि में अमोनिया उत्पादन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन में 47% की कमी आई है।

रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में, घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए हैं:-

(I) प्लास्टिक पार्क सरकार प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए योजना लागू करती है। यह योजना आवश्यक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ आवश्यकता-आधारित प्लास्टिक पार्क की स्थापना और सामान्य सुविधाओं को सक्षम करने को बढ़ावा देती है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के साथ-साथ रोजगार सृजित करने में मदद करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित और समन्वित करना है। 10 प्लास्टिक पार्कों को अनुमोदित किया गया है।

(II) उत्कृष्टता केंद्र नए अणुओं और प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना के लिए एक स्कीम तैयार की है। इस स्कीम का उद्देश्य मौजूदा प्रौद्योगिकी में सुधार करने और पॉलिमर, रसायन एवं प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम में उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ मौजूदा विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और उन्नयन पर बल दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत अब तक 18 उत्कृष्टता केंद्र अनुमोदित किए गए हैं।

(III) पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर): भारत सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) में निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के लिए पीसीपीआईआर नीति, 2007 अधिसूचित की है। पीसीपीआईआर रसायन एवं पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बड़े पैमाने पर एकीकृत एवं पर्यावरण अनुकूल तरीके से संवर्धित करते हैं और इनमें व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश प्रदान करने हेतु सामान्य अवसंरचना एवं सहायक सेवाओं के साथ क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण की अवधारणा निहित है। वर्तमान में आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), गुजरात (दाहेज) और ओडिशा (पारादीप) राज्यों में तीन रसायन एवं पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) (पीसीपीआईआर) अधिसूचित किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के तहत गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) जारी करने के माध्यम से बीआईएस मानकों को अनिवार्य बनाने के लिए एक कवायद शुरू की है। अब तक, 72 रसायनों और पेट्रो रसायनों के लिए क्यूसीओ को राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।